राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1704/2024

शफी मौहम्मद —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक कृषि (प्रशासन), राजस्थान सरकार, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
4. उप निदेशक, कृषि विज्ञान (शव्य), ए.टी.सी., छतरपुरा फार्म, बूंदी।
5. निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोनल ऑफिस, कोटा।
7. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सी.ए.डी. कॉलोनी, कोटा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.04.2024
आदेश की दिनांक : 08.11.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धनंजय शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : **अनुपस्थित**

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी द्वारा पेंशन भुगतान आदेश में पारिवारिक पेंशन के लिए रिकॉर्ड में अपीलार्थी की दूसरी पत्नी अंजुम का नाम जोडे जाने एवं इसके अनुरूप पेंशन भुगतान किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत था, जो राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है, जो वर्तमान में पेंशन भोगी है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी की पहली पत्नी स्वर्गीय श्रीमती अनीस फातमा की मृत्यु दिनांक 23.09.2018 को हो गई थी (अनुलग्नक–3)। उसके पश्चात अपीलार्थी ने अंजुम से दूसरा विवाह किया, जिनका आधार कार्ड अनुलग्नक–4 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी की दूसरी पत्नी अंजुम को अपने पति रियाजुद्दीन द्वारा दिनांक 11.10.2021 (अनुलग्नक–5) को तलाक दे दिया गया। अपीलार्थी का निकाह मुस्लिम रीति–रिवाजों के अनुसार दिनांक 29.01.2023 (अनुलग्नक–6) को श्रीमती अंजुम के साथ हुआ तथा समाज के किसी भी व्यक्ति को इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। अपीलार्थी के पास वैध निकाह नामा है, जो न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय क्रम–2 कोटा से तलाक की डिक्री

दिनांक 25.07.2023 (अनुलग्नक–7) द्वारा निर्णय एवं डिक्री जारी होने के पश्चात राजस्थान सरकार के पास पंजीकृत करवाया गया था, जिनका विवाह पंजीकरण (विवाह दिनांक 29.01.2023) अनुलग्नक–8 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.08.2023 (अनुलग्नक–9) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उनकी दूसरी पत्नी अंजुम का नाम पारिवारिक पेंशन में नाम जुडवाने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी संख्या 7 ने दिनांक 16.11.2023 (अनुलग्नक–10) के सूचना पत्र के माध्यम से कुछ कमी के बारे में सूचित किया, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा 06.12.2023 (अनुलग्नक–11) के उत्तर के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अपीलार्थी की दलील पर विचार नहीं किया गया। अतिरिक्त निदेशक कृषि (प्रशासन) ने पत्र दिनांक 23.01.2024 (अनुलग्नक–12) द्वारा अपीलार्थी का कृत्य राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के विरुद्ध है, क्योंकि अपीलार्थी का अंजुम के साथ विवाह तलाक से पूर्व माना जाएगा। अपर निदेशक कृषि (प्रशासन) द्वारा जारी पत्र दिनांक 23.01.2024 में उल्लिखित टिप्पणियां कानूनी और न्यायोचित नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की वर्तमान पत्नी अंजुम का नाम पारिवारिक पेंशन रिकॉर्ड में न दर्ज करना न्यायोचित नहीं है, अपीलार्थी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी होने के नाते, अपीलार्थी की वर्तमान पत्नी अंजुम को पेंशन लाभ प्राप्त करने का अधिकार है और लाभ प्राप्त करने के लिए उनके नामांकन का भी अधिकार है, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग प्रकरण के इस पहलू पर विचार करने में विफल रहे हैं। अपीलार्थी के जीवन के बाद पारिवारिक पेंशन और अपीलार्थी की पत्नी अंजुम को पारिणामी लाभ प्रदान करने के लिए आज तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने अवैध और गलत तरीके से अपीलार्थी की वर्तमान पत्नी अंजुम को पारिवारिक पेंशन का लाभ देने से अप्रत्यक्ष रूप से मना कर दिया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी की पेंशन भुगतान आदेश के संबंध में पारिवारिक पेंशन के लिए रिकॉर्ड में अपीलार्थी की दूसरी पत्नी अंजुम का नाम जोड़ें और अपीलार्थी के जीवनकाल के बाद इस संबंध में स्थिति उत्पन्न होने पर अपीलार्थी की दूसरी पत्नी अंजुम को पारिवारिक पेंशन का लाभ प्रदान करें।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा द्वितीय पत्नी श्रीमती अंजुम से दिनांक 29.01.2023 को विवाह किया गया तब तक श्रीमती अंजुम द्वारा औपचारिक रूप से सक्षम न्यायालय से तलाक की डिक्री प्राप्त नहीं की गई थी। सक्षम न्यायालय से तलाक की डिक्री दिनांक 25.07.2023 को जारी की गई है। चूंकि अपीलार्थी सरकारी कर्मचारी रहे हैं,

इसलिए उन पर राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 लागू होते हैं। उक्त नियमों की नियम सं0–25 विवाहन के संबंध में निधंबन (Restrictions Regarding Marriage) का प्रावधान करती है। इस नियम–25 का उप नियम (1) अपीलार्थी पर लागु होता है जिसके अनुसार "कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा, जिसका कोई पति या पत्नी जीवित है।" चूंकि विवाह की दिनांक को श्रीमती अंजुम को औपचारिक विधिक डिक्री सक्षम न्यायालय से प्राप्त नहीं हई थी इसलिए उस दिनांक तक औपचारिक रूप से विधि की दृष्टि में वह तलाकशुदा की स्थिति में नही थी, विवाहित थी। अतः यह विवाह तलाक पूर्व माना जाएगा और राजस्थान सिविल सेवाएँ आचरण नियम, 1971 का उल्लंघन है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी शफी मोहम्मद द्वारा द्वितीय पत्नी श्रीमती अंजुम से दिनांक 29.01.2023 को विवाह किया गया। जब तब तक श्रीमती अंजुम द्वारा औपचारिक रूप से सक्षम न्यायालय से पूर्व विवाह से तलाक नहीं हुआ था। सक्षम न्यायालय से तलाक की डिक्री दिनांक 25.07.2023 को जारी की गई है। अपीलार्थी सरकारी कर्मचारी होने से उन पर राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 लागू होते हैं। उक्त नियमों की नियम सं0–25 विवाहन के संबंध में निधंबन (Restrictions Regarding Marriage) का प्रावधान करती है। वह तलाकशुदा नही थी, बल्कि विवाहित थी। प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम पत्नी अनीश फातमा की मृत्यु हो चुकी है। अपील में अंकित तथ्यों के दृष्टिगत यह अपील उत्तराधिकार हितों से संबंधित है। उत्तराधिकार संबंधी प्रकरणों का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय के पास है। इस अधिकरण को The Rajasthan Civil Services (Service metters) Tribunal Act 1976 के तहत राजकीय कर्मचारियों के सेवा संबंधी प्रकरणों को सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः क्षेत्राधिकार के अभाव में अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की स्वतंत्रता होगी।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य